प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं0- 01375-224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com

पत्रांक- 1055 / 12-1 बड़कोट, दिनांक 07, नवम्बर /2025

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषयः- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत बनास से दुर्बिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.16 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण के संबंध में। (FP/UK/ROAD/29640/2017)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/26/2020/एफ.सी./595, दिनांक 28.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों की निराकरण आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-66/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(बडकोट)-05/25 दिनांक 04.11.2025 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है जो निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	बिन्दु	आख्या
1	In reply to Point No 1, Copy of mutaton, Khatauni, Copy of undertaking w.r.t. condition No. 3(ग) of Stage-I, approval is still not received, which is required to be submitted.	सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-1)
2	In reply to Point No. 2 It is mentioned that notification has been enclosed but the same is a draft copy. State Government is requested to submit copy of notification of CA area as RF/PF land.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी अधिसूचना संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-2)।
3	In reply to Point No 3. CA scheme of Rs. 15 lakh is found submitted but amount deposited in CAMPA fund is Rs. 14,15,635/-only. State Government is requested to submit clarification in this regard.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-क-972/3-5-2(II), दिनांक 21.11.2017 के अनुसर वसूली वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर रू0 3,37,184.00 प्रति है0 के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक 915/12-1, दिनांक 11.11.2020 से जारी मांग पत्र के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि 14,15,635.00 रू0 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कैम्पा कोष में जमा की गयी। जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक-3)।

अतः आख्या मय प्रयोक्ता एजेन्सी की अनुपालन रिपोर्ट सहित महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

Hp dextop DM

Scanned with CamScanner

ई–मेल-pmgsybarkot@gmail.com

ब्रिडकुल–पी0एम0जी0एस0वाई0, पी0आई0यू0–बड़कोट
ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी0आई0यू0कार्यालयः–पूजा आरती गेस्ट हाऊस, सरूखेत, बड़कोट, उत्तरकाशी–249141

पत्रांकः– 66 ब्रिडकुल / पी0एम0जी0एस0वाई0(बडकोट)–05 /25 दिनांक 04 /11 /2025

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग,
बड़कोट उत्तरकाशी।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बनास से दुर्बिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.16 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण के (Online Proposal no. FP /UK / ROAD /29640/2017) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 26 / 2020 / एफ0सी0 / 595 दिनांक 28 / 07 / 2023 ।

क्र0स	बिन्दु	बिन्दुवार आख्या
1.	In reply to Point NO 1, Copy of mutation, Khatauni, Copy of undertaking w.r.t. condition NO 3 (ग) Of Stage-I, approval still not received, which is required to be submitted.	Compliance Attached as Annexure No.1
2.	In reply to Point NO 2, it is mentioned that notification has been enclosed but the same is a draft copy. State Government is requested to submit copy of notification of CA area as RF/PF land.	Compliance Attached as Annexure No.2
3.	In reply to Point NO 3, CA scheme of Rs.15 lakh is found submitted but amount deposited in CAMPA fund is Rs. 14,15,635/-only. State Government is requested to submit clarification in this regard.	Revised CA scheme attached as Annexure No. 3

Pankaj Saini

(इं0 पंकज सैनी)
इकाई प्रभारी,ब्रिडकुल,पी0एम0जी0एस0वाई0
पी0आई0यू0–बड़कोट।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियता पी0एम0जी0एस0वाई0, वृत्त मसूरी देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (सडक एवं सेतु) ब्रिडकुल देहरादून,को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. मास्टर फाईल।

इकाई प्रभारी,ब्रिडकुल,पी0एम0जी0एस0वाई0
पी0आई0यू0–बड़कोट।

Scanned with CamScanner

3/021
-110-56

:: आदेश ::

परियोजना प्रबन्धक, पी0एम0जी0एस0वाई0, ब्रिडकुल, बडकोट ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 27/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(बडकोट)-07/2021 दिनांक 01 फरवरी 2021 के द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0, ब्रिडकुल इकाई बडकोट के अन्तर्गत राना, वनास से दुर्बिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए दोगुनी सिविल सोयम वन भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने पर तहसीलदार बडकोट से आख्या प्राप्त की गयी तहसीलदार बडकोट की आख्या पत्र संख्या 165/र0का0/क्षतिपूरक वृक्षारोपण पत्रा0/2018-19 दिनांक 01 मार्च 2021 को उप जिलाधिकारी, बडकोट ने संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए निम्न प्रकार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, खरसाली की जॉच आख्यानुसार राना, वनास से दुर्बिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दुर्बिल की वर्तमान नॉन जेड.ए. खतौनी फसली वर्ष 1423 से 1428 के खाता संख्या 16 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ मे दर्ज खसरा नम्बर 295म./2.004है0, 390/1.066है0 तथा 600म./1.250है0 कुल रक्वा 4.320है0 सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग एवं कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0 के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 25 अगस्त 2018 को पूर्व ही किया जा चुका है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, धार्मिक स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक स्थल नही है और न ही उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग यथा गौचार-पनघट की है।

शासनादेश संख्या 237/xviii(11)/2018-07(83)/2008 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार मा0 न्यायालय के आदेश का प्रभाव उसी भूमि पर पड़ेगा जो बेनाप श्रेणी में आती हो। ऐसी स्थिति में यह विषय राजस्व विभाग/जिलाधिकारी के ही क्षेत्राधिकार का होगा कि किसी भूमि विशेष के बारे में ''नाप'' होने अथवा ''बेनाप'' होने के बारे में स्पष्ट कर ले और तदोपरान्त ही समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित करे।

उक्त शासनादेश के अनुपालन मे जिला शासकीय अधिवक्ता(सिविल) उत्तरकाशी की विधिक राय प्राप्त की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय के अनुसार वर्ग 9(3)ड0 की भूमि नॉन जेड ए.खतौनी में अंकित की जाने वाली राज्य सरकार की स्वामित्व की भूमि होती है जिसमें खसरा नम्बर एवं उनका क्षेत्रफल अंकित होता है, ऐसी भूमि नाप भूमि के अन्तर्गत आती है।

जिस भूमि पर कोई खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल अंकित नहीं होता है वह भूमि बेनाप भूमि की श्रेणी में आती है। शासनादेश संख्या 1566/14-2-97-800/1997 दिनांक 17 मार्च 1997 के प्रस्तर-02 में उल्लिखित किया गया है कि जो भूमि डिमार्केटिड नही है वह बेनाप भूमि की श्रेणी में रक्षित वन हो गये है।

शासनादेश संख्या 883(1)/x-3-2011-8(21)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर 2011 मे अधिसूचना संख्या 869एफ/638 दिनांक 17.10.1893 जिसके अन्तर्गत तत्समय गढ़वाल, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के नैनीताल सब डिविजन के गांवों की ऐसी बेनाप वन तथा बंजर भूमि जो

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamScanner

आरक्षित व वन में सम्मिलित नही थी, को रक्षित वन घोषित किया गया था जो अधिसूचना संख्या 866/x-3-2011-8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 कि द्वारा बिखण्डित किए जाने के उपरांत अब प्रभावी नहीं है। वर्तमान समय में उत्तरकाशी जनपद में कोई बेनाप भूमि नहीं है।

अतः महोदय उपरोक्त शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उप जिलाधिकारी, बडकोट/तहसीलदार, बडकोट की आख्या के आधार पर पी0एम0जी0एस0वाई0, ब्रिडकुल इकाई, बडकोट अन्तर्गत राना, वनास से दुर्बिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दुर्बिल की वर्तमान नॉन जेड.ए. खतौनी फसली वर्ष 1423 से 1428 के खाता संख्या 16 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ में दर्ज खसरा नम्बर 295म./2.004है0, 390/1.066है0 तथा 600म./1.250है0 कुल रक्बा 4.320है0 सिविल सोयम भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट के नाम हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

दिनांकः- 08/03/2021

ह0/-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या3713 /ग्यारह-विविध /2020-21 दिनांक09 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, बडकोट ।
2- तहसीलदार, बडकोट ।
3- प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट ।
4- परियोजना प्रबन्धक, पी0एम0जी0एस0वाई0, ब्रिडकुल, बडकोट ।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी
9/3/2021

Scanned with CamScanner

Annexure-(1)

नकल खतौनी Non-Z.A. ग्राम - दुर्बिल, तहसील - बड़कोट, जिला - उत्तरकाशी

कृ.व. — 1429-1434

भूलेख प्रपत्र सं0 प–11

16.	उत्तराखण्ड सरकार	-	1म.	0.766	
	वर्ग 9(3)ड़		3	0.028	
			7म.	0.040	
			14	0.014	श्रीमान जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी
			41	0.020	के आदेश संख्या-3713/स्थान-विविध
			73	0.036	/2020-21 दिनांक 9 मार्च 2021 के अनुसार
			97	0.010	पी०एम०जी०एस०वाई० सिविल इकाई
			xx	xx	बड़कोट अन्तर्गत राना गांव से दुर्बिल
			xx	xx	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक
			xx	xx	वृक्षारोपण हेतु ग्राम दुर्बिल की खतौनी
			xx	xx	N2A खतौनी फसली वर्ष 1423 से 1428
			290	0.009	के खाता संख्या-16 उत्तराखण्ड सरकार
			295	3.764	के खातिए की वर्ग 9(3)ड़ में दर्ज रकबा
			304	0.101	जिसका 295म/2.400, 390/0.066, 600म/
			xx xx	xx xx	1.250 हे० कुल 4.320 हे० सिविल सोयम
			386	0.018	की भूमि को प्रभागीय वन अधिकारी
			390	1.066	अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के नाम
			393	0.095	हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति
			xx xx	xx xx	प्रदान की गई है, तदनुसार अमल दरामद
			599	0.053	किया।
			600	1.696	
			610 xx	0.940 xx	
			2996	0.044	
	योग		454	91.296	

असल से नकल

(हस्ताक्षर) 05/10/2024

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ......
तहसील बड़कोट
जिला–उत्तरकाशी

Scanned with CamScanner

सिविल सोयम भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम कब्जा प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 ब्रिडकुल इकाई बड़कोट के अन्तर्गत बनास से दुर्बिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम दुर्बिल विकासखण्ड नौगांव में 2.16 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बदले दोगुने क्षेत्रफल 4.32 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी के आदेश सं0–3713/ग्यारह–विविध/2020–21 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा ग्राम दुर्बिल में सिविल सोयम भूमि खसरा सं0–295 म0/2.004 है0 390/1.066 है0 तथा 600 म0/1.250 है0 कुल रकवा 4.32 है0 को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा हस्तान्तरण/नामान्तरण की गयी सिविल सोयम भूमि का सीमाकंन कर वन विभाग के कब्जे मे कर लिया गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
25/11/2024			
(राजस्व उप निरीक्षक) खरसाली	(बीट अधिकारी) दुर्बिल बीट	(वन दरोगा) भैरब अनुभाग	(वन क्षेत्राधिकारी) यमुनोत्री वन राजि

Scanned with CamScanner

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद–उत्तरकाशी में पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड, पुरोला के अन्तर्गत बनास से दुर्बिल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

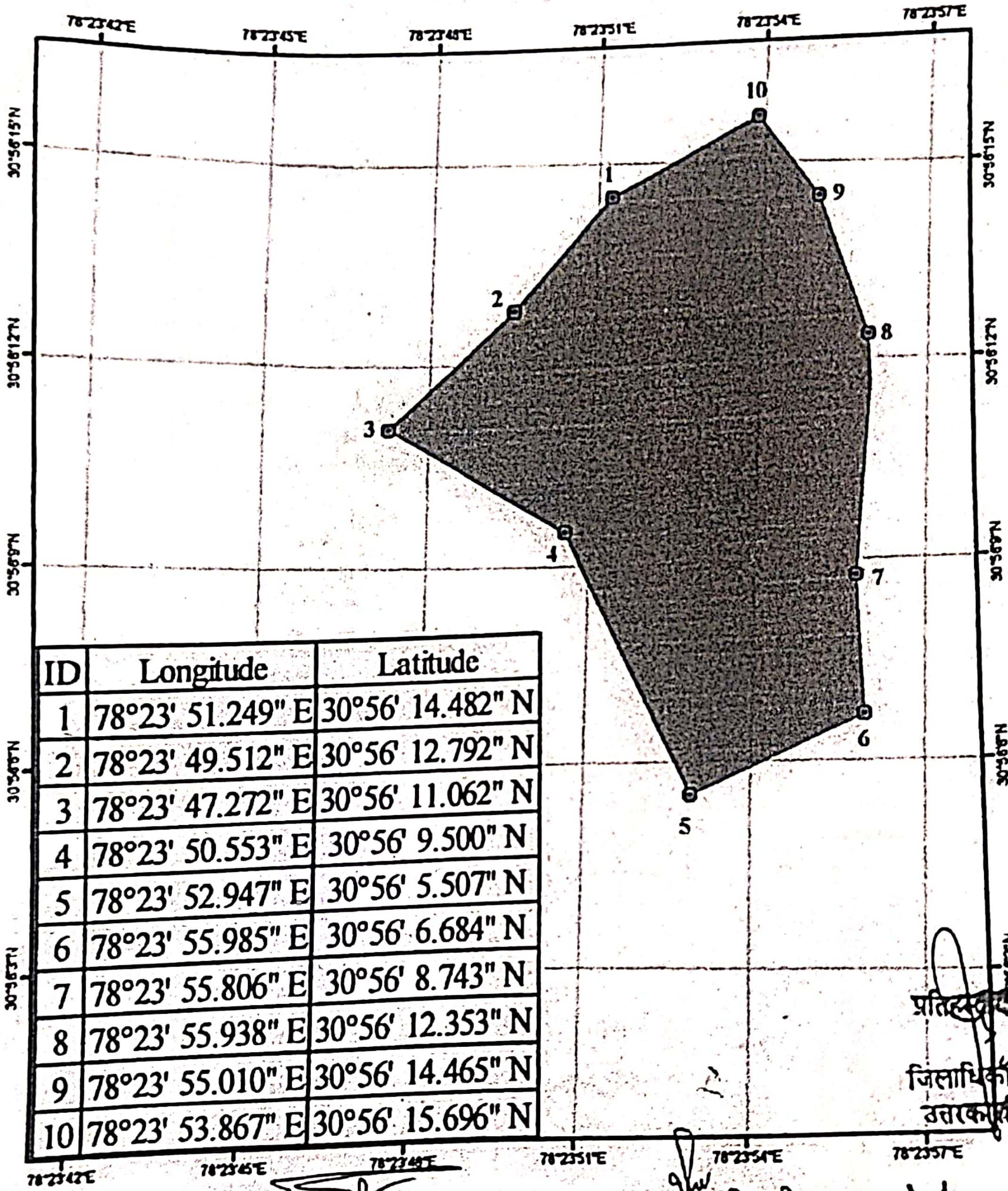

ID	Longitude	Latitude
1	78°23' 51.249" E	30°56' 14.482" N
2	78°23' 49.512" E	30°56' 12.792" N
3	78°23' 47.272" E	30°56' 11.062" N
4	78°23' 50.553" E	30°56' 9.500" N
5	78°23' 52.947" E	30°56' 5.507" N
6	78°23' 55.985" E	30°56' 6.684" N
7	78°23' 55.806" E	30°56' 8.743" N
8	78°23' 55.938" E	30°56' 12.353" N
9	78°23' 55.010" E	30°56' 14.465" N
10	78°23' 53.867" E	30°56' 15.696" N

Legend

- Ca Point
- CA Land

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट – उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप जिलाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
यमुनोत्री रेंज, कुथनौर

तहसीलदार
बड़कोट (उत्तरकाशी)

Junior Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

Assistant Engineer
PMGSY ID Purola
Uttarkashi

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिं.ख.
पुरोला (उत्तरकाशी)

Assistant Engineer
PMGSY, I.D., Purola,
(Uttarkashi)

Scanned with CamScanner

(Annexure- 2)

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification..975../X-3-22 Dehradun, dated 23 September.22 for general information.

Government of Uttarakhand
Forest Section- 03
File No. 975/X-3-22/1(34)/2020
Dehradun Date- 23 September, 2022

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d land (for other agricultural use barren land) total 4.32 hectare, as forest land as well as protected forest. which was transferred by District Collector of Uttarkashi to the forest department for compensatory plantation against the 2.16 hectare Reserve Forest land transferred for the construction of Banas to Durbil Motor Road i n District Uttarkashi, whose area and boundary details are given in the table below.

Table

Sr. No.	District	Village	Khata Number	Khasara		Total Area (in Hectares)	Category of Land
				Number	Area		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Uttarkashi	Durbil	16	295 M	2.004	2.004	Uttarakhand Government Category-9(3)d
				390	1.066	1.066	
				600 M	1.250	1.250	
				Total :-	4.320	4.320	

The area mentioned in table above is free from the claim of any rights and concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

Part- 2 Boundary details

The details of the proposed boundary pillars (including G.P.S. locations) for the demarcation of the plantation area are as following.

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°23' 27.33" E	30°56' 42.19" N
2	78°23' 30.57" E	30°56' 42.30" N
3	78°23' 33.03" E	30°56' 43.15" N
4	78°23' 36.19" E	30°56' 44.76" N
5	78°23' 35.86" E	30°56' 40.43" N
6	78°23' 35.32" E	30°56' 37.49" N
7	78°23' 33.79" E	30°56' 36.24" N
8	78°23' 32.12" E	30°56' 35.86" N
9	78°23' 30.69" E	30°56' 37.21" N
10	78°23' 29.01" E	30°56' 37.94" N
11	78°23' 27.13" E	30°56' 38.18" N
12	78°23' 5.90" E	30°56' 39.80" N

(Vijay Kumar Yadav)
Secretary.

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 23-09-2022 16:14:35

CamScanner

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग–3

संख्या– 975/X-3-22/1(34)/2020

देहरादून: दिनांक: 23 सितम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बनारा से दुर्बिल मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तान्तरित 2.16 है0 आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी–9(3)ड0 (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 4.32 है0 क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ–साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:–

तालिका

क्र0स0	जनपद	ग्राम	खाता संख्या	खसरा		कुल क्षेत्रफल (है0)	भूमि की किस्म
				संख्या	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	उत्तरकाशी	दुर्बिल	16	295 म0	2.004	2.004	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड0
				390	1.066	1.066	
				600 म0	1.250	1.250	
				कुल :–	4.320	4.320	

उपरोक्त क्षेत्र भू–अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग–2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी0पी0एस0 लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of Plantation Site		
ID	Longitude	Latitude
1	78°23' 27.33" E	30°56' 42.19" N
2	78°23' 30.57" E	30°56' 42.30" N
3	78°23' 33.03" E	30°56' 43.15" N
4	78°23' 36.09" E	30°56' 44.76" N
5	78°23' 35.86" E	30°56' 40.43" N
6	78°23' 35.32" E	30°56' 37.49" N
7	78°23' 33.79" E	30°56' 36.24" N
8	78°23' 32.12" E	30°56' 35.86" N
9	78°23' 30.69" E	30°56' 37.21" N
10	78°23' 29.01" E	30°56' 37.94" N
11	78°23' 27.13" E	30°56' 38.18" N
12	78°23' 5.90" E	30°56' 39.80" N

(विजय कुमार यादव)

सचिव।

Signed by Vijay Kumar Yadav
Date: 23-09-2022 16:14:08

CS CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure (3)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना
अपर यमुना वन प्रभाग,बड़कोट

1. परियोजना का नाम– उत्तरकाशी जनपद के अन्तर्गत बनास से दुर्बिल मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.160 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
2. वृक्षारोपण स्थल का नाम– दुर्बिल सोयम(नाट कुसाला तोक)
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का क्षेत्रफल–4.32 है0
4. रेंज का नाम– यमुनोत्री रेंज
5. रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या–4752पौध
6. प्रति है0 पौध रोपण– 1100 पौध
7. विकासखण्ड का नाम–नौगांव

अक्षांश–N-30°54'53''. देशान्तर–78°22'52'' ऊचांई–2316 मीटर

प्रथम चरण (वर्ष 2022–23)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	सर्वे /सीमांकन	प्र0है0	4.32	238.00	1028.11
2	क्षेत्र की सफाई(झाड़ी कटान आदि)	प्र0है0	4.32	2518.00	10877.16
3	दीवाल बन्दी कार्य	प्र0है0	4.32	64354.00	278009.28
4	पौधों की कीमत 10% क्षतिपूर्ति सहित(प्रथम वर्ष)	प्र0पौध	4752	21.64	102833.28
5	गड्ढा खुदान कार्य(0.30X0.30X0.45)	प्र0ग0	4752	13.00	61776.00
6	कन्टूर फर खुदान (300र0मी0)	प्र0फर	432	132.00	57024.00
7	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	प्र0है0	4.32	1261.00	5447.5
8	निरीक्षण कुटिया	प्र0है0	4.32	1152.00	4976.65
				योग	571651.98

द्वितीय चरण

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	गड्ढा भरान कार्य(0.30X0.30X0.45)	प्र0ग0	4752	2.35	11167.20
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	प्र0पौध	4752	4.14	19673.28
3	पौध ढुलान कार्य (25 प्रतिशत नंगीजड़ तथा 75 प्रतिशत बैग पौध ,लदाई व उतराई सहित)	प्र0पौध	4752	13.67	64959.84
4	पौध रोपण व थावलाबन्दी कार्य	प्र0पौध	4752	4.42	21003.84
5	रासायनिक खाद 25 ग्राम प्रति गड्ढा/कीटनाशक 16/–किग्रा0	प्र0पौध	4752	1.55	7365.60
6	कन्टूर फर्रो–नाली भरान एवं बीज बोना	प्र0र0मी0	432	10.00	4320.00
7	निराई–गुड़ाई व मल्चिंग दो बार	प्र0पौध	4752	5.81	27609.12
8	रख–रखाव कार्य 9 माह हेतु(1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्र0माह	4752	4269.88	38428.92
9	अग्नि सुरक्षा कार्य	प्र0है0	4.32	495.00	2138.40
				योग	1,96,666.20

रोपण के बाद प्रथम वर्ष का अनुरक्षण कार्य

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	रोपण के उपरान्त द्वितीय वर्ष का रख–रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह हेतु(1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्र0माह	12	4269.88	51238.56
2	निराई–गुड़ाई व मल्चिंग दो बार	प्र0पौध	4752	6.76	32123.52
				योग	83362.08

AnyScanner

Scanned with CamScanner

द्वितीय वर्ष का अनुरक्षण कार्य					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	5434.00	65208.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य दो बार	प्रति पौध	4752	7.55	35877.60
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य –रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	4.32	643.66	2780.61
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों आर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	4.32	379.21	1638.19
				योग	**105504.40**
अनुरक्षण तृतीय वर्ष का अनुरक्षण कार्य					
1	तृतीय वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	5434.00	65208.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य दो बार	प्रति पौध	4752	7.55	35877.60
3	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य –रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	4.32	643.66	2780.61
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों आर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	4.32	379.21	1638.19
				योग	**105504.40**
अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष का अनुरक्षण कार्य					
1	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	5434.00	65208.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य	प्रति पौध	4752	2.28	10834.56
3	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य –रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	4.32	643.66	2780.61
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों आर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	4.32	379.21	1638.19
				योग	**80461.36**
अनुरक्षण पंचम वर्ष का अनुरक्षण कार्य					
1	पंचम वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	5434.00	65208.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य –रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	4.32	643.66	2780.61
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों आर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	4.32	379.57	1639.74
				योग	**69628.35**

Scanned with CamScanner

अनुरक्षण पष्ठम वर्ष का अनुरक्षण कार्य

1	पष्ठम वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	5434.00	65208.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य –रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	4.32	643.66	2780.61
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों आर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना	प्र0है0	4.32	379.21	1638.19
				योग	**69626.80**

अनुरक्षण सप्तम वर्ष का अनुरक्षण कार्य

1	सप्तम वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	5434.00	65208.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य करना				
i	अग्नि सुरक्षा कार्य –रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	प्र0है0	4.32	643.66	2780.61
				योग	**67988.61**

अनुरक्षण अष्टम वर्ष का अनुरक्षण कार्य

1	अष्टम वर्ष अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर)	प्रति माह	12	5434.00	65208.00
				योग	**65208.00**
				रोपण के बाद प्रथम वर्ष से अष्टम वर्ष का अनुरक्षण	**647324.00**
				प्रथम व द्वितीय चरण का योग	**768318.18**
				सम्पूर्ण योग	**₹ 14,15,642.18**
				या	**₹ 14,15,635.00**

(अभि सिंह भण्डारी)
वन दरोगा
भैरव सैक्शन

प्राक्कलन स्वीकृति हेतु श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग की सेवा में सादर प्रेषित।

(आशीष नौटियाल)
वन क्षेत्राधिकारी
यमुनोत्री राजि

जांच किया।
रु0...14,15,635/lakh
ह0 Shankar
मानचित्रकार
[illegible] बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

उप प्र[illegible] वनाधिकारी
[illegible]